147

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 1347/पी.बी.आर./2015 जिला–सतना

मैसर्स एसोसियेटड एल्कोहल प्रा.लि.
.... प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन
.... प्रतिप्रार्थी

प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसमें ग्राहयता पर सुनवाई हेतु तारीख पेशी दिनांक 01.03. 2016 नियत की गयी है।

2– यहकि, वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि राज्य शासन द्वारा वर्तमान समय में नवीन लायसेंस की प्रक्रिया प्रारंभ की दी गयी है ओर ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश निरंतर नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी को लगायी गयी शास्ति जमा करना होगी अथवा वह नवीन लायसेंस प्राप्त नही कर सकेगे ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में रेस्टोर किया जाना आवश्यक है।

3– यहकि प्रार्थी के हित में माननीय न्यायालय द्वारा जो स्थगन आदेश पूर्व में जारी किया गया था। उसे आगे बढाये जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे वह नवीन लायसेंस प्रक्रिया में भाग ले सके।

अतएव निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर वर्तमान प्रकरण को रेस्टोर कर मूल प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को निरंतर किये जाने की कृपा करें।

दिनांक : 16.02.2016

निवेदक
मैसर्स एसोसियेटड एल्कोहल प्रा.लि.
.... प्रार्थी
द्वारा अभिभाषक

कमलेश कुमार द्विवेदी, एडवोकेट

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5रु. भारत पाँच रुपये

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5रु. भारत पाँच रुपये

-2-

रेस्टो. 1347 PBR/15 (सतना)

7-4-2016	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुर्नस्थापन की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । विचारोपरांत उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण अपील 102-दो/14 पुनः सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश दिए जाते हैं । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	